मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 15 / 3 /2023

क्र. एफ 16-22/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाईल्स लिमिटेड द्वारा ग्राम फतेपुर, बराड रोड, तहसील एवं जिला बुरहानपुर में 3 चरणों में लगभग रूपये 297.61 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से टेक्सटाईल परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP 23201) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जायेगी। परियोजना को योजना अंतर्गत प्रावधानिक रोजगार गणक एवं निर्यात गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर लिए गए उत्पादन प्रांरभ दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति:-** परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 5 वर्षों में नियुक्त किए गए मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रू. 13,000/- प्रति कर्मचारी की दर से, अधिकतम सीमा रू. 1.50 करोड़ तक की प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाये।

5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये। इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश की गणना 01 जनवरी, 2021 से की जायेगी।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. एफ 16-22/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 15 /3 /2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाईल्स लिमिटेड, 15/17, Vanka Mohalla, Dr M B Velkar Street, Kalbadevi, Mumbai – 400002.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग